

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 101/2025(GCMS 2025/412)

(RTI No. 212444016587529)

सुभाष कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद वार्ड नं. 22, लालगढ़ जाटान, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर-94606-88197)

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर

सत्यमेव जयते

27.11.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सुभाष कुमार स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.09.2025 से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो सहायक लोक सूचना अधिकारी ने उसे समय पर उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने सहायक लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।


मैंने, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि सुभाष कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.09.2025 के द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी से निम्न तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. सम्पर्क पोर्टल परिवाद 32403240781871104 के जांच की पटवारी रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति।
2. सम्पर्क पोर्टल परिवाद 072407819944996 की जांच की पटवारी रिपोर्ट व फर्द मौका दिनांक 23.07.2024 की प्रमाणित प्रति।
3. सीएमओ/सम्पर्क प्रकरण 012500121784925 व 012507821674303 में जवाब नायब तहसीलदार लालगढ़ की रिपोर्ट व गोदनामा की छायाप्रति की प्रमाणित प्रति।

उपतहसीलदार (भू.अ.) लालगढ़ जाटान ने अपने पत्रांक भू.अ./864 से 867 दिनांक 24.11.2025 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत व प्रसंगांतर्गत निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा एप्लीकेशन नं. 212576093367308 दिनांक 03.09.2025 में निम्न सूचनायें मांगी गयी हैं:

1. सम्पर्क पोर्टल परिवाद 32403240781871104 के जांच की पटवारी रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति।
2. सम्पर्क पोर्टल परिवाद 072407819944996 की जांच की पटवारी रिपोर्ट व फर्द मौका दिनांक 23.07.2024 की प्रमाणित प्रति।


जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

3 सीएमओ/सम्पर्क प्रकरण 012500121784925 व
012507821674303 में जवाब नायब तहसीलदार लालगढ़ की
रिपोर्ट व गोदनामा की छायाप्रति की प्रमाणित प्रति।


श्रीमानजी उपरोक्त के सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रार्थी सुभाष
कुमार ने बताया कि उक्त मांगी गयी सूचनाओं में बिन्दु संख्या 02
सम्पर्क पोर्टल परिवाद 072407819944996की जांच की पटवारी
रिपोर्ट व फर्द मौका दिनांक 23.07.2024 की प्रमाणित प्रति
आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है व अन्य शेष सूचनाएं मुझ प्रार्थी
को प्राप्त हो चुकी है। शेष सूचनाएं शीघ्र उपलब्ध करवाएं।

शेष रही सूचनाओं के सम्बन्ध में निवेदन है कि आवेदन
पत्र में संलग्न पटवारी रिपोर्ट लालगढ़-बी दिनांक 23.07.2024 व
फर्द मौका पटवारी द्वारा राज पोर्टल पर परिवाद क्रमांक
072407819944996 के सम्बन्ध में तैयार कर श्रीमान तहसीलदार
महोदय, सादुलशहर को लिखा गया है। उक्त प्रकरण में रिपोर्ट
पटवारी द्वारा उपतहसीलदार, लालगढ़ कार्यालय में पेश नहीं की
गयी है। अतः सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उक्त सूचना
इस कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती हैं।

उपतहसीलदार (भू.अ.), उपतहसील लालगढ़ जाटान ने अपील का जवाब
उक्तानुसार दिया है, जिसके अनुसार बिन्दु संख्या 01 व 03 की सूचना अपीलार्थी
को उपलब्ध हो चुकी है, जिसके परिणामस्वरूप उपतहसीलदार, लालगढ़ जाटान ने
अपीलार्थी का लिखित प्रार्थना पत्र दिनांक 24.11.2025 की प्रति पेश की है। बिन्दु
संख्या 02 की सूचना तहसीलदार, सादुलशहर/ उपतहसीलदार (भू.अ.), लालगढ़
जाटान ने अपीलार्थी को आदिनांक तक उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए तहसीलदार
सादुलशहर को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remnad) की जाती है कि
बिन्दु संख्या 02 की सूचना अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के
प्रावधानानुसार उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती
है। आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व),
सादुलशहर एवं उपतहसीलदार, लालगढ़ जाटान को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को
आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल
दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले
न्यायालय में सुनाया गया।

(
(डॉ. मन्जू)

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर